न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना भरतपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य (R.A.S)

मुकदमा नम्बर– 15/2019

1. सूका आयु 50 साल पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत निवासी कैर तहसील बयाना
2. पूरन आयु 45 साल पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत निवासी कैर तहसील बयाना
3. भूरीदेवी आयु 40 साल पत्नि स्व0 पप्पू जाति राजपूत निवासी कैर तह. बयाना
4. राहुल आयु 22 साल पुत्र पप्पू जाति राजपूत निवासी कैर तह. बयाना
5. रवि आयु 16 साल पुत्र पप्पू जाति राजपूत निवासी कैर तह. बयाना नाबालिग जैर वलायत व रफाकत माता खुद श्रीमती भूरीदेवी अपीलान्ट संख्या 3
6. पूजा आयु 10 साल पुत्री पप्पू जाति राजपूत निवासी कैर तह. बयाना नाबालिग जैर वलायत व रफाकत माता खुद श्रीमती भूरीदेवी अपीलान्ट संख्या 3
7. सीमा आयु 60 साल पुी सुखसिंह पत्नि दशरथ जाति राजपूत निवासी ग्राम बरखेडा तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान
8. प्रेम आयु 30 साल पुत्री सुखसिंह पत्नि शिवराज जाति राजपूत निवासी नौरगपुरा दृतहसील महवा जिला दौसा
9. रामश्री आयु 58 साल पुत्री सुखसिंह पत्नि प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा

......अपीलान्टस

बनाम

सरंपच ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1239 निर्णय तारीखी 21.08.2018 ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 17.03.2021

उपस्थिति :–

1– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एडवोकेट, अपीलान्ट

2–श्री.नरेश कुमार सिंघल एडवोकेट, रैस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

अपीलान्टस की ओर से यह अपील प्रस्तुत इस आशय की कि पप्पू पुत्र सुखसिंह का स्वर्गवास हो गया है कि जिसने अपने पीछे अपीलान्ट संख्या 3 लगायत 6 छोडे है जो उसकी छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है। श्रीमती लॉगश्री पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी कैर तहसील बयाना का लाबल्द बिला पति स्वर्गवास हो गया है उसकी छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति पर उसके पति रामसिंह के भाई सुखसिंह के लडके व लडकी वारिस होने के नाते काबिज है । आराजी खसरा नम्बर 1965 रकवा 0.47 हैक्टेयर ग्राम कैर तहसील बयाना में स्थित है कि जिसकी उक्त लौंगश्री न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थी व खसरा नम्बर 1957 रकवा 0.69 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से की श्रीमती लौगश्री व शेष 1/2 हिस्से के अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 2 व 3 लगायत 5 के पति व पिता पप्पू व 6 लगायत 9 खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है उक्त अपीलान्ट संख्या 6 लगायत 9 द्वारा हक त्याग करने पर उक्त सम्पूर्ण 1/2 हिस्से के अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हो गये व खसरा नम्बर 1554 रकवा 0.14, 1555 रकवा 0.13, कुल किता 2 कुल रकवा 0.27 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से की श्रीमती लौंगश्री व शेष 1/2 हिस्से के अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व अपीलान्ट संख्या 3 लगायत 6 के पति व पिता पप्पू रिकॉडैड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1289 में पटवारी हल्का द्वारा मृतक लौंगश्री के वारिसान में अपीलान्ट का नाम तो सही अंकित किया है लेकिन अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व 7 लगायत 9 के पिता का नाम सुखसिंह के स्थान पर रामसिंह अंकित करते हुए दिनांक 21.08.2018 को योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत कैर में प्रस्तुत किया गया है कि जिसका कोई नोटिस अपीलान्टस को नहीं दिया गया और उसी दिन अपीलान्टस को बिना सुने व बिना नोटिस दिये ग्राम पंचायत कैर द्वारा अपीलान्टस की बैक पर गलत पिता का नाम रामसिंह के अनुसार ही निर्णित किया गया है अतः इसी हद तक उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व प्रस्तुत की जिसके निम्न आधार है।

(ए) यह है कि उक्त नामान्तरकरण जैर अपील में मृतक लौंगश्री का जो सजरा वारिसान का पटवारी हल्का द्वारा बयाना [illegible] में अपीलान्ट का नाम तो सही अंकित किया है लेकिन पिता का नाम [illegible] के स्थान पर रामसिंह गलत अंकित कर दिया है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अपने आदेश जैर अपील तारीखी 21.08.2018 द्वारा गलत पिता के नाम द्वारा निर्णीत किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

जो कि इस हद तक सरासर गलत व गैर कानूनी है और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व विधि प्रावधानों के विपरीत है तथा निरस्त होने योग्य है।

(बी) यह है कि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन दाखिल खारिज के खाना नम्बर 7 में लौंगश्री के पति का नाम रामसिंह अंकित किया है फिर भी सुयोग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने खाना नम्बर 8 में अपीलान्टस संख्या 1,,2,7,8,9 के पिता का नाम सुखसिंह के स्थान पर रामसिंह अंकित कर दिया है जबकि यह तथ्य कि लौगश्री पत्नि रामसिंह के कोई सन्तान नहीं हैं सुयोग्य ग्राम पंचायत की जानकारी में है । सजरा अपूर्ण पेश किया है। सजरा में लौंगश्री के पति का नाम दर्ज नहीं है तथा वारिसान के पिता का नाम दर्ज नहीं किया है अतः दाखिल खारिज अपास्त किये जाने योग्य है।

(सी) यह है कि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण के निर्णीत करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया । उक्त नामान्तरकरण जैर अपील में अपीलान्टस के पिता का नाम सुखसिंह के स्थान पर रामसिंह स्वीकृत करना सरासर सत्यता के विपरीत है कि जिसमें ग्राम पंचायत ने अपने स्वयं के विवेक का भी ठीक प्रकार से उपयोग न करने में भारी कानूनी भूल की है और न इसकी किसी के द्वारा तस्दीक प्रापत की गई है और न इस बाबत अपीलान्टस को सुना गया है उक्त नामान्तरकरण जैर अपील में गलत नाम रामसिंह के अंकित रहने से अपीलान्टस के हितों व हकूकों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(डी)यह है कि उक्त नामान्तरकरण जैर अपील में गलत नाम अंकित होने की जानकारी अपीलान्टस को पहले किसी प्रकार नहीं हो सकी। अब अपीलान्टस के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवारी हल्का से नकल नामान्तरकरण प्राप्त करने के लिए दिनांक 22.08.2019 को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील की तहसील बयाना से नकल प्राप्त की तव उसके देखने पर वकील साहब ने अपीलान्टस संख्या 1, 2 व 7 लगायत 9 के पिता का नाम सुखसिंह के स्थान पर रामसिंह अंकित होना बतलाया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 09.03.2021 को रैस्पोडेन्ट मय वकील उपस्थित हुआ और एक प्रार्थना पत्र पेश करके अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की सहमति दी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

हमने विद्वान अभिभाषको को सुना । विद्वान अभिभाषको ने अपनी बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि घमण्डी सिंह के दो पुत्र सुखसिंह व रामसिंह थे सुखसिंह की मृत्यु के बाद अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 9 खातेदार हुए और रामसिंह के स्वर्गवास के बाद उसकी पत्नि लौगश्री खातेदार हुई चूकि लौंगश्री का लाबल्द बिला औरत स्वर्गवास हो जाने के बाद उसका विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1239 जो खोला गया है उसमें अपीलान्टस के पिता का नाम सुखसिंह के स्थान पर रामसिंह सहवन से दर्ज हो गया है अन्त में अपील को स्वीकार किये जाने व नामान्तरकरण संख्या 1239 को निरस्त कर अपीलान्टस के पिता का नाम रामसिंह के स्थान पर सुखसिंह किये जाने की प्रार्थना की। एडवोकेट रैस्पोडेन्ट ने भी अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में सहमति दी है ।

विद्वान अभिभाषक को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 1239 व जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072, आधार कार्डो का अवलोकन किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 1239 निर्णय दिनांक 21.08.2018 ग्राम कैर तहसील बयाना खारिज किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह लौंगश्री (मृतक) के कायमी वारिसान की जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.20[illegible] लिखाया जाकर सरेइज्लास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सुनील [illegible] (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)
(उपखण्ड अधिकारी)